



मध्यप्रदेश राजापत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ़ 7, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच (22).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, प्ररूप 4-ख में कोई पत्रक इलेक्ट्रॉनिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

2. यदि पत्रक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रस्तुत किया जाता है, जो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा वेब पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जाए, पत्रक का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8-क के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे पत्रक को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्वनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-36-2014-1-पांच (22), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्वनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th June 2014

No. F. A-3-34-2014-1-V (22).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a statement in Form 4-B pertaining to

the periods, which start on or after 1st April, 2014 shall be furnished by a registered dealer through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. If the statement is furnished electronically without digital signature, the registered dealer shall submit verification of the Statement in the Forms as may be specified by the Commissioner on the web portal.

3. The provisions of rule 8-A of the said rules shall mutatis mutandis apply to such statement.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच (23).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई विवरणी प्ररूप 7 में इलेक्ट्रॉनिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

2. यदि विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रस्तुत की गई है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी प्ररूप 7-ड में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-36-2014-1-पांच (23), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

Bhopal, the 28th June 2014

No. F. A-3-34-2014-1-V (23).—In exercise of the powers conferred by Rule 8-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st April, 2014 shall be furnished by a registered dealer electronically in Form VII, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. If the return is furnished electronically without digital signature, the registered dealer shall submit verification of the return in Form VII-E.

3. The provisions of rule 8 of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच (24).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 23-के सहपठित विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम-7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई विवरणी प्ररूप 5 में, इलेक्ट्रानिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

2. यदि विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रीति में प्रस्तुत की गई है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी प्ररूप-5ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 7-के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-36-2014-1-पांच (24), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

Bhopal, the 28th June 2014

No. F. A-3-34-2014-1-V (24).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 read with the Rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st April, 2014 shall be furnished by a registered dealer electronically in Form V, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. If the return is furnished electronically without digital signature, the registered dealer shall submit verification of the return in Form V-B.
3. The provisions of rule 7-A of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच (25).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 84-के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती है, किसी रजिस्ट्रीकृत / नामांकित भवन निर्माता द्वारा कोई विवरणी प्ररूप 10-ख में, इलेक्ट्रानिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

2. यदि विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रीति में प्रस्तुत की गई है, तो रजिस्ट्रीकृत / नामांकित भवन निर्माता प्ररूप 10-ग में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 21-क के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-36-2014-1-पांच (25), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

Bhopal, the 28th June 2014

No. F. A-3-34-2014-1-V (25).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 84-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return in Form 10-B pertaining to the periods, which start on or after 1st April, 2014 shall be furnished by a registered / enrolled builder through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. If the return is furnished electronically without digital signature, the registered / enrolled builder shall submit verification of the return in the Form 10-C.

3. The provisions of rule 21-A of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच (26).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (4-ख) तथा नियम 23-क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई विवरणी यथास्थिति प्ररूप 5 या प्ररूप 10 या ऐसे प्ररूप में, जो कि विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

2. यदि विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रानिक रीति में प्रस्तुत की गई है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी यथास्थिति प्ररूप-5-ख या प्ररूप 10-क में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 या नियम 21 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ. ए-3-34-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-36-2014-1-पांच (26), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th June 2014

No. F A-3-34-2014-1-V (26).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4-B) of Rule 8 and sub-rule (2) of Rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st April, 2014 shall be furnished by a registered dealer electronically In Form 5 of Form 10 or the Form as may be prescribed, as the case may be, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. If the return is furnished electronically without digital signature, the registered dealer shall submit verification of the return in Form 5-B or Form 10-A, as the case may be.
3. The provisions of rule 8 or rule 21 of the said rules, as the case may be, shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.